☎ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक : राप्रनिम / क्षे.का पाली / लेखा / 595-596 दिनाँक : 05/05/2016

विज्ञप्ति 01 / 2016

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण :-	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा आवेदन पत्र की बिक्री	निविदाऐं जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
कम्प्यूटर ऑपरेटर (मेन विथ मशीन) – पद 3 (तीन)	Rs. 6200/-	Rs. 200/-	दिनांक 05 / 05 / 2016 से 20 / 05 / 16 तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में।	23-05-2016 at 1:30 pm	23-05-2015 at 2:00 pm
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद 2 (दो)	Rs. 2500/-	Rs. 200/-			

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा फार्म मण्डल की वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि 200 / –रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य पाली के नाम से होना चाहिए। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं।

(राजीव पारीक)
क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, पाली

☎ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम ....
2. डाक का पूरा पताः ....
   ....
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम...व पदनाम..........................
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाईन न0...मोबाईल न0...
5. निविदा संख्या...दिनांक..
6. निविदा शुल्क.......................................रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक कमांक...
   दिनांक ....
7. अमानत राशि रूपये ....डी.डी./बैंकर चैक संख्या...
   दिनांक ....बैंक का नाम..
8. ठेका राशि एक वर्ष के लिये–राशि (अंको मे)..
   राशि (शब्दो मे)..रूपये
9. मै./हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना कमांक .... दिनांक ....मे वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।
10. उपर उद्वत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक मान्य होगा ।
11. दरे श्रम विभाग राज. सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 5 (6) न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 28.01.2015 एवं इसके बाद श्रम विभाग राज. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार होनी चाहिए।
12. निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का सेवाकर रजिस्ट्रेशन निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतिया संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के प्रमाण मे राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति/फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
13. निविदादाताओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर ''चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निविदा'' अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, एस.ए. 6 मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र पाली को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुॅच जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स....................................

....

पताः...

....

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone: 02932-231616 Website http://www.rpcb.rajasthan.gov.in

कार्य की शर्ते

1. निविदादाता को क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं पाली पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदादाता को अमानत राशि के रूप मे रूपये 2500 बैंक ड्राफ्ट/बैकंर्स चैक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के नाम हो तथा ये पाली में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत नही करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदादाता को रू 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों मे जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति मे लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा यदि संविदा के किन्ही उपबधों एवं शर्तो में उल्लघंन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नही कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली को होगा।
6. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
7. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदादाता को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
9. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नहीं होगा ।
10. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, पाली का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

1. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा ।
2. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नही चाहिए।

3. निविदादाता /संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
4. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देष हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
5. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता हैं।
6. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा। निविदादाता/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
7. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शारित (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
8. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
9. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
10. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
11. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
12. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, पाली का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
13. शास्ति (Penalty)

(1) निविदादाता द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य मे लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप मे वसूली जायेगी।

(2) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।

14. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार पाली होगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः मैसर्स..

पताः ....

☏ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) की सेवाये किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा

1. निविदादाता / फर्म का नाम व पताः ....
(मय दूरभाष / माबाईल नम्बर तथा ई-मेल यदि हो)..............................
....
2. निविदादाता / फर्म का श्रम विभाग ....
में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक ....
3. निविदादाता / फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एंव दिनांक ....
4. टेण्डर प्रपत्र देने का पता क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
5. संदर्भः- निविदा सूचना..............................दिनांक ....
6. निविदा शुल्क का विवरण- राशि रूपये 200/-
डी.डी. न0./ बैंकर्स चैक न. ....दिनांक..............................
7. अमानत राशि के बैंकर्स ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के नाम देय हो। जारी कर्ता बैंक का नाम.............................. राशि रू. 6200/- (शब्दो मे रूपये छः हजार दो सौ रूपये मात्र) ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक स. ....दिनांक..............................
8. निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर
प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मेन):- (अंको मे)..............................
(शब्दों मे)..............................

नोटः-

(i) प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के किराये की राशि रू. 8500/- (अक्षरे रू. आठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह (सभी कर सहित) से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

(ii) निविदा की प्रस्तावित दर अंकों व शब्दों में समान होनी चाहिये । अंकों व शब्दों में अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। दर में किसी भी प्रकार की कोई कांट छांट/ओवर राईटिंग नही होनी चाहिये, यदि काट-छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

9. निविदादाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र -निविदा आवेदन कर्ता अपनी फर्म / ऐजेन्सी का पूर्ण विवरण, कॉन्स्टीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।
10. मैंने / हमनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी मान्य होने बाबत शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा की शर्तें

वित (बजट) के परिपत्र संख्या 8/2008 कमांक प.9(1)/वित्त–1(1)आ.व्यय/2004

दिनांक 28/07/2008 के बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबन्ध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

1. अनुबन्ध प्रारभ में एक वर्ष की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढाया जाएगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिऐ। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरुप कराया जाएगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग ये सुविधा भी प्रदान करेगे कि कार्यालय बन्द होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
4. निविदाकर्ता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय एवं कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण हो या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/–रूपये की कटौती की जावेगी।
6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार की अवधि को बढा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्च पर करवा कर देना होगा।
7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संघारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि उपकरण में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने को कहा जावेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।
9. यदि उपकरणों को चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डीडी से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग एवं ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।